प्रपत्र संख्या

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जनपद पिथौरागड में नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की स्वीकृती शासनादेश सं0 7234/III(2)/11–117(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22–12–2011 द्वारा 4.00 किमी0 हेतु रु0 50.40 लाख स्वीकृत हुआ है। विभाग द्वारा 4.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव रखा गया था। जिसमे 9.00 मी0 चौडाई के अनुसार राज्य भूमि 0.729 हे0, नाप भूमि 2.781 हे0, वन पंचायत 0.090 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से गंगासेरी की कुल 151 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मोटर मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन मे प्रभावित होने वाली 0.819 हे0 वन भूमि न्यूनतम है, जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि मे मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य :–

1. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र लगभ 60% .प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 22% प्रतिशत ही वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जो कि औचित्यपूर्ण है।
2. दुर्गम पहाडी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे–छोटे भागों में भू–स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि मे बनाया जाना सम्भव नही है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी मे सहुलियत होगी।
4. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पो में विचार किया जाना सम्भव नही हो पाता है, दो समरेखनों मे सर्वेक्षण करने के पश्चात भू–वैज्ञानिक की रिर्पोट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों के कम प्रभावित होने तथा उत्यर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखन मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गयज्ञं

अतः प्रभावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृती उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृती हेतु प्रेक्षित किये जा रहे हैं, ताकि मार्ग का निर्माण किया जा सके।

सहायक अभियता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
पिथौरागड

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
पिथौरागड